

R.T.Act सायला की ओर से उनके वकील न पेश किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम द्रष्टया केस सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैर सायलान आगामी ता०पेशी दिनांक 30.04.2018 तक जारी की जाकर पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 94 रकवा 09-19 बीघा, आराजी खसरा नम्बर 144 रकवा 05-13 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 347 रकवा 1-18, खसरा नम्बर 362/774 रकवा 2-00 बीघा वाके ग्राम बेनपुरा खालसा तहसील बाडी के राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। यदि इस आदेश के जारी रखे जाने में गैर सायलान को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 30.04.2018 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 11.4.18 30.04.2018 को पेश हो।

1
 उपसंडाधिकारी
 बाडी (धौलपुर) राब

23.4.18

आज पत्रावली पेश हुई। दावा 250 पत्री
 बाडीपा की वल्लु सुनी व प्रस्तुत प्रमाणों
 की ओर सां राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर
 वापिस डिक्री किया गया। जब दावा विवाद
 किया गया है तो इसे 1.9.का नलाना
 डिक्री नही है। इसी स्तर पर प्रमाण
 पर 212 फिसल किया जाकर
 अखिल उपर है।

उपसंडाधिकारी
 बाडी (धौलपुर) राब